तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **राजस्व आवेदन संख्या 914/2018 अनवान पुष्पादेवी बनाम जितेन्द्र**	नम्बर व तारीखअहकाम जो इस हुकम की तामील मे जारी हुए

आदेश

30.7.21

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीनी के वकील उपस्थित। अप्रार्थीगण के नॉटिस तामिल की श्रेणी में प्राप्त हो चुके है। आज बावजूद सूचना अनुपस्थित होने से उनके विरूद्ध इकतरफा कार्रवाई अमल में लाई गई। वकील प्रार्थीनी का कथन है कि प्राथीनी मौजा आदर्श महाबार पटवार क्षेत्र महाबार तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 2270/512 रकबा 11.04 बीघा भूमि का अभिलिखित खातेदार है तथा अपनी खातेदारी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहती है, इस हेतु निर्धारित शुल्क जमा करवाने को तैयार है।

वकील प्रार्थीनी को सुनने के पश्चात पत्रावली का भी अवलोकन किया गया। प्रकट तथ्यों एवं पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रार्थी प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि का अभिलिखित खातेदार है तथा अपनी खातेदारी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहती है जो उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीनी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया मौजा आदर्श महाबार पटवार क्षेत्र महाबार तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 2270/512 रकबा 11.04 बीघा भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित कर नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाडमेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाकर निर्देश दिये जाते है कि उक्त कार्रवाई प्रार्थीनी व अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस/पत्र सूचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत् राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) की जावे। कमीश्नर फीस 1500/– अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीनी द्वारा मौके पर अदा की जायेगी। इस आशय का आदेश तहसीलदार बाडमेर के नाम जारी हो। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर सामिल मिसल हो। पत्रावली फैसल–सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

उप खण्ड अधिकारी